न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 10/2021
प्रविष्टि दिनांक 27–1–2021

शाहिद खॉन पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 6–1–2021 प्रकरण सं0 1247/2020

उपस्थिति : (1) श्री विक्रम जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 20–1–2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 6–1–2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2196/1289 रकबा 0.03 है0,वाके ग्राम उखलाना तह0 उनियारा पर केबिन डालकर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, पेलन्टी कायम करने व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के वितरीत है। है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया ओर न ही वास्तविक मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार उनियरा को स्वंय मौके पर जाकर [illegible] निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बावजूद कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नही ? कब्जा साबित होने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि [illegible] कोई सक्षम प्रदर्शित नहीं करवाई गई योग्य अधीनस्थ न्यायालय के [illegible] पूर्व में बेदखली बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

दसतावेज या निपर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाया गया। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट किस तारीख को पेश की किसके सामने तैयार की इसका भी अंकन निर्णय में नहीं है। पटवारी हल्का ने ऐसी कोई रिपोर्ट किसी स्वतंत्र गवाह के सामने तैयार नहीं की है उसके उपरान्त भी उक्त आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–1–2021 को निरस्त किया जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। विवादित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2196/1289 वाके ग्राम उखलाना में 0.03 है0 पर केबिन डाल कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2196/1289 वाके ग्राम उखलाना में 0.03 है0 पर केबिन डाल कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18–1–2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेंने विविादित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2196/1289 वाके ग्राम उखलाना में 0.03 है0 पर से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया है, ओर मैं भविष्य में उक्त भूमि अथवा सरकारी भूमि पर पुनः कब्जा नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 6–1–2021 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested